

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2480] No. 2480] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

का.आ. 2828(अ).—केन्द्रीय सरकार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्गठन, उनके संपूर्ण या किसी एक भाग के अंतरण और समामेलन के सभी मामलों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अविध के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और धारा 6 के उपबंधों को लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. कॉम्प-07/4/2017-कॉम्प-एमसीए]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2017

S.O. 2828(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government in the public interest hereby exempts, all cases of reconstitution, transfer of the whole or any part thereof and amalgamation of nationalized banks, under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Competition Act, 2002 for a period of ten years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Comp-07/4/2017-Comp-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

5392 GI/2017